

दिनांक 06.07.2015 को सम्पन्न जिला में स्थित उद्योगों के प्रतिनिधियों की CSR संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-


| | | |
|--|---|----------------|
| 1. उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ | - | अध्यक्ष |
| 2. असैनिक शल्य चिकित्सक, सरायकेला-खरसावाँ | - | सदस्य |
| 3. जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ | - | सदस्य |
| 4. जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ | - | सदस्य |
| 5. कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, सरायकेला | - | सदस्य |
| 6. द्विज प्रतिम सेन, PMRDF | - | आमंत्रित सदस्य |
| 7. चेम्बर ऑफ कॉमर्स, सरायकेला-खरसावाँ के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 8. प्रतिनिधि Adhunik Alloys & Power Ltd. | - | सदस्य |
| 9. प्रतिनिधि Ramkrishna Forgings Ltd. | - | सदस्य |
| 10. प्रतिनिधि Rungta Mines Ltd. | - | सदस्य |
| 11. प्रतिनिधि Metalsa Ltd. | - | सदस्य |
| 12. प्रतिनिधि Usha Martin Ltd. | - | आमंत्रित सदस्य |
| 13. प्रतिनिधि Tayo Rolls Ltd. | - | आमंत्रित सदस्य |
| 14. प्रतिनिधि JMT Auto Ltd. | - | आमंत्रित सदस्य |
| 15. प्रतिनिधि Beekay Steel Ltd. | - | आमंत्रित सदस्य |
| 16. प्रतिनिधि Kohinoor Steel Ltd. | - | आमंत्रित सदस्य |


सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपना परिचय कराया। उपायुक्त द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 में वर्णित कम्पनियों के सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) संबंधित प्रावधानों एवं उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के अधिसूचना संख्या 05/U.ni.(Mou)-23/2013/692 दिनांक 31.03.2015 की चर्चा की गई।


सभी उपस्थित कम्पनियों के प्रतिनिधियों से CSR अन्तर्गत जिले में स्थित 75 (पचहत्तर) सरकारी विद्यालयों को गोद लेने का हेतु चर्चा की गई। साथ ही संबंधित विद्यालयों में चहारदिवारी निर्माण, बिजली व्यवस्था एवं बैंच-डेस्क उपलब्ध कराने की बात पर भी चर्चा की गई। इस बारे में सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से सुझाव लिया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा अन्य छोटे हुये उद्योगों को भी शामिल करने तथा लागत मूल्य पर विस्तृत चर्चा की गई। तत्पश्चात् उपायुक्त द्वारा द्विज प्रतिम सेन, PMRDF को अन्य छोटे हुये उद्योगों को भी शामिल करने तथा सभी उद्योगों के बीच अनुमोदित सूची में अंकित विद्यालयों को आवंटन करने का निदेश दिया गया (Annexure-1)। साथ ही राजनगर प्रखंड की सूची जो पूर्व में भूलवस जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से छुट गया था, उसे भी शामिल करते हुये आवंटित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त द्वारा कम्पनियों को अनुमति दी गई कि वे गोद लिये विद्यालयों में किये गये CSR संबंधित कार्यों का प्रचार कर सकते हैं।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


द्विज प्रतिम सेन, PMRDF
10.07.2015


जिला योजना पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।


10/7
उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

ज्ञापांक...268.../जि0यो0, सरायकेला, दिनांक..10/7/2015—

- प्रतिलिपि :- जिला में स्थित All Large Industries को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Shree
10/7/15

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

(71)

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ
(जिला योजना शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक 251/जि0यो0

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त, सरायकेला-खरसावाँ।

असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ।

जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ।

कार्यपालक अभियंता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, सरायकेला।

जिला योजना पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ।

जिला कल्याण पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ।

चेम्बर ऑफ कॉमर्स सरायकेला-खरसावाँ के प्रतिनिधि

प्रतिनिधि, All Large Industries

सरायकेला, दिनांक 04/07/2015

विषय :-

दिनांक 06.07.2015 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आहूत जिला में स्थित उद्योगों के प्रतिनिधियों की CSR संबंधी बैठक में भाग लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 06.07.2015 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला के उद्योगों के प्रतिनिधियों की CSR संबंधी बैठक अधोहस्ताक्षी के कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत की गई है।

किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उक्त बैठक हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थान पर ससमय भाग लेने का कष्ट

Shree.
04/7/15

विश्वासभाजन

उपायुक्त,
सरायकेला-खरसावाँ।